

18/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रेतर कार्यवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समिति धनबाद को भेजे।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी के कार्यालय वलिजापुर

बाद अभिलेख संख्या- 240 / 2014 (अनुसूचित प्रा-4(b), DLR Act, 1950)

भूमि

बनाम

श्री महे, पि 2 नम 11
210 लडाफा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नोटा- 182
खता नं- 62 खंसा नं- 198 रकम- 198 अंश- 182 अधिनियम के नाम से
80 नं- 11 के पंजी- II भाग- 198 के पृष्ठ- 182 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉर्जियन संदिग्ध प्रतिकारित किया है।

अतएव आप उक्त संद्व में दिनांक- 9/8/16 को समय- 11:30 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दुरुमत्तों का पूर्ण जर्नी एवं द्वारा निर्गत जमींदारी
एसीदो, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
एसीदो निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अचौहस्त भूदे के कार्यालय प्रवेश में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सतद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में सगडा जायेन कि सर्वसंबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संका में युक्ति-युक्त निर्णय लेने हुए निर्धारित अनुसूचित प्रा-4(b) की जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि- 5/8
स्थान-

25/7/16
अंचल अधिकारी
वलिजापुर

25/7/16

C:\Users\HP\Desktop\ainad\account care\dura

विमल - 25/7/16

विमल नागिका श्रीमती
घोष 24 सप 2016
06/8/16